

कार्यालय – उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपर्युक्त स्तराय सामति, परिक्षेत्र के नीति वन प्रभाग की रेंज के अन्तर्गत जनपद के विकास खण्ड अमृतसर में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from नीति वन - गवाली - बड़ाली तक समाप्त होगी... (Total Length 46.2 Km) तक सौनारा राह देवी जी, नं.

Length 46.2 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.412 है 0 तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.412 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) के पक्ष में वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील -) की दिनांक 22-3-21 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी।

- | | | | | |
|----|-------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|
| १. | श्री प्रताप जैन | उप जिलाधिकारी | मित्रालय | अध्यक्ष। |
| २. | श्री पुष्टि नानोडा | होला। उपाधिकारी | परिपालन | सदस्य नगरपालिका वन क्षेत्र |
| ३. | श्रीलक्ष्मी दुर्गमं राव सहायक | समाज कल्याण अधिकारी | सदस्यीताल | वन समाग्र नियंतार |
| ४. | श्री चंद्री - चुलंडी | देवी ०३०१०३० क्षेत्र चुलंडी खेडा | सदस्य। | उल्लंघन सट्टमा |

उपर्युक्त सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक का खैरना विषय बैलूल्पट (नैनीताल) रेज अन्तर्गत

Length 46.2 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.1712 है। वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) के पक्ष वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु में अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी () **चैनीताल** वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधिक रूप से स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से नीतियां परिक्षेत्र के अन्तर्गत नीतसंघ प्रभाग के रेज अन्तर्गत जनपद नीतियां के विकास खण्ड नीतियां में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from नीति - नीति

Length 46.2 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल विछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0462 है 0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

तहसील नैनीताल / जनपद नैनीताल
प्रतिलिपि - जिलाधिकारी नैनीताल को सम्बन्धित

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, मैनीला को सूचनार्थ एवं आव यक कार्यवाही हेतु।

उपजिल्हाधिकारी / अध्यक्ष
परमनाधका
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
नीतल

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष